राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

जीवणी देवी बनाम विनोद कुमार

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[redacted] 31/2018		
27/11/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1 व 2 की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस हेतु दिनांक 04/12/2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
04/12/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थिति। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर पूर्व में सुनी जा चुकी है। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 15/12/2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
15/12/25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम करते हुए प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 12/12/2015 पारित करते हुए वादीगण का वाद डिक्री करते हुए विवादग्रस्त भूमि ग्राम शेरावतपुरा तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 40 रकबा 1.90 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 513 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 514 रकबा 1.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 515 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 516 रकबा 1.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 518 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 519 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 520 रकबा 3.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 532 रकबा 0.37 हैक्टेयर, कुल किता 9 कुल रकबा 10.13 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में 1/3 हिस्से का वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये एवं साथ ही तहसीलदार आमेर को विवादग्रस्त भूमि के मौके पर निहित खातेदारान के निहित हिस्सेनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर विभाजन किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीयां द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद एवं प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी के साथ प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थीयां द्वारा दौराने बहस एवं अपील के माध्यम से मुख्य रूप से यही उज्र प्रकट किये गये है कि रेस्पो. संख्या 1 कभी भी रेस्पो. संख्या 3 का पुत्र नही रहा है एवं रेस्पो. संख्या 2 रेस्पो. संख्या 3 की पत्नी नही है तथा रेस्पो. संख्या 1 रेस्पो. संख्या 2 के साथ गेलड आया था एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

जीवणी देवी बनाम विनोद कुमार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रेस्पो. संख्या 3 ता. 18 की और से प्रस्तुत जवाब दावे के माध्यम से उठाई गयी आपत्तियो के सम्बन्ध में तनकीयात कायम नही की गयी है। इस सन्दर्भ में अपील पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीयां जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रेता की हैसियत से धारा 96 जाप्ता दीवानी प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील लेकर आई है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीयां द्वारा जो आपत्तिये अपील के माध्यम से दर्ज करवायी गयी है, उन आपत्तियो को सिद्ध करने हेतु उनके द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये है, ऐसेमें अपीलार्थीयां द्वारा अपील के माध्यम से उठाये गये उज्र स्वीकार योग्य नही रह जाते है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विस्तुत विवेचन कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 12/12/2015 विधिसम्मत प्रतीत होने से यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	